Q. पूर्व-वैदिककालीन सभ्यता के मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें?

Ans:- वैदिक कालीन सभ्यता की जानकारी हमें विस्तृत रूप से ऋग्वेद से मिलती है। इस काल के सभ्यता की जानकारी के लिए प्रामाणिक सामग्री नहीं के बराबर है। पूर्व-वैदिककालीन सभ्यता के दौरान आर्य-सभ्यता के मूल तत्वों की स्थापना हुई, जिनका विकास उत्तरवैदिककाल में हुआ।

→ **पूर्ववैदिककालीन सभ्यता की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं :-**

(1.) **राजनीतिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था :-** पूर्व-वैदिककाल में आर्यों का राजनीतिक संगठन एवं प्रशासनिक व्यवस्था शिशु अवस्था में थी। रक्त संबंधों के आधार पर कुटुंब, कुल या परिवार संगठित होते थे। इसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। वह परिवार का मुखिया होता था। कुटुंब ही सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। अनेक परिवारों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामणी कहलाता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर विश बनता था, जिसका प्रधान विशपति कहलाता था। इसका अनेक विशों का समूह जन या कबीला कहलाता था। इसका प्रधान राजा या गोप कहलाता था। जनपद, राष्ट्र या राज्य की अवधारणा भी वैदिक काल के उत्तरार्द्ध में स्थापित हुई।

ऋग्वैदिक काल में शासन का प्रधान राजन हुआ करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व करने के लिए ही राजा की आवश्यकता पड़ी। उसका प्रमुख कार्य युद्ध में विजय दिलवाना था। साथ ही वह कबीले में रहनेवालों और उनकी संपत्ति की भी सुरक्षा करता था। राजा यद्यपि अपने कबीले का प्रधान हुआ करता था, तथापि उसका पद वंशानुगत नहीं था। कबीले में रहनेवाले व्यक्ति सबसे योग्य व्यक्ति को अपना राजा चुनते थे।

इस समय के राजा को भगवान का अवतार नहीं समझा जाता था, बल्कि वह कबीले का सबसे योग्य व्यक्ति मात्र माना जाता था। न्यायिक व्यवस्था भी पूर्णतः विकसित नहीं थी, राजा ही न्याय करता था।

(2) **जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास :-** वैदिक काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ — सभा, समिति और विदथ। सभा का मुख्य कार्य न्याय करना था। समिति का मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन करना था। राजनीतिक महत्व के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक प्रश्नों पर भी इन संस्थाओं में चर्चा होती थी। इनका प्रमुख कार्य राजा का निर्वाचन करना, उसपर अंकुश रखना एवं प्रशासन में उसकी सहायता करना था। विदथ मुख्यतः धार्मिक एवं सैनिक महत्व का कार्य करता था। इन संस्थाओं का संगठन और कार्य कबीलाई संगठन के अनुरूप था। राजा के लिए इन संस्थाओं से मधुर संबंध बनाये रखना आवश्यक था।

(3) **आर्यों की सामाजिक स्थिति :-** (i) परिवार :- परिवार में पितृसत्तात्मक तत्व ही प्रधान थे। अनेक मंत्रों में योग्य पुत्रों की कामना की जाती थी, परंतु पुत्रियों की कामना का उल्लेख नहीं मिलता है। पितृसत्तात्मक तत्व की प्रधानता होते हुए भी परिवार में स्त्रियों को यथोचित आदर एवं सम्मान प्रदान किया जाता था। माता को गृहस्वामिनी के रूप में पर्याप्त आदर एवं सम्मान प्रदान किया जाता था। स्त्रियों को पर्याप्त स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। यद्यपि विवाह में पिता की अनुमति या सहमति आवश्यक थी, तथापि अनेक स्त्रियों को विवाह-संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त थी।

→ **स्त्रियों की स्थिति :-** स्त्रियों को शिक्षा पाने और राजनीतिक संस्थाओं में हिस्सा लेने का भी अधिकार था। बहुत सी स्त्रियाँ अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध थीं और उन्होंने सूक्तों की रचनाएँ की थीं। विश्ववारा, विश्वपला एवं घोषा ऐसी ही विदुषी महिलाएँ थीं। स्त्रियाँ धार्मिक कृत्यों में भी अपने पतियों के साथ भाग लेती थीं, परंतु उनपर कुछ प्रतिबंध भी लगे थे। उदाहरणस्वरूप उन्हें पुरुषों के संरक्षण में रहना पड़ता था। उन्हें संपत्ति में हिस्सा भी नहीं मिलता था, इसके बावजूद उनका समाज में सम्मानजनक स्थान था।

→ **विवाह-प्रथा :-** विवाह का प्रचलन आरंभ हो चुका था। विवाह एकात्मक होते थे, परंतु बहु-विवाह के भी प्रमाण यदा-कदा मिलते हैं। विवाह एक धार्मिक कृत्य समझा जाता था। बाल-विवाह का प्रचलन नहीं था। सती-प्रथा का प्रचलन नहीं था, परंतु नियोग की व्यवस्था प्रचलित थी।

* **सामाजिक वर्गीकरण :-** आर्यों का प्रारंभिक सामाजिक वर्गीकरण वर्ण एवं कर्म के आधार पर हुआ था। आर्यों के प्रमुख तीन वर्ग थे — ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। यह वर्गीकरण जातिगत या जन्मजात न होकर कर्म के आधार पर निश्चित किया गया था।

* **खान-पान :-** वैदिक कालीन लोग भोजन में अनाज, दूध से बनी वस्तुएँ और फल का प्रयोग करते थे। आर्य मांसाहारी भी थे। वे सुरा और सोमरस से भी परिचित थे।

Scanned with CamScanner

→**आमोद-प्रमोद/मनोरंजन:** सिंधु सभ्यता के निवासी अपने जीवन में आमोद-प्रमोद या मनोरंजन को समुचित महत्व देते थे। उनके मनोरंजन की प्रवृत्ति के विभिन्न साधन थे। जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना, पक्षियों को फँसाना उनके मनोरंजन के साधन थे। मनोरंजन के लिये पक्षियों को पिंजड़ों में पाला भी जाता था। पशुओं से लड़ना या उन्हें आपस में लड़ाना भी मनोरंजन का एक साधन था। उदाहरणस्वरूप एक मुहर पर दो मुर्गों के लड़ने का चित्र अंकित है। नर्तक तथा नर्तकी की मूर्तियों को देखने से नृत्य के प्रति लोगों की रुचि का पता चलता है।

मनोरंजन के अन्य साधन में पासे या चौपड़ का खेल बहुत ज्यादा प्रचलित था। शतरंजनुमा खेल भी गोटियों की मदद से खेला जाता था।

※ **खिलौने:-** बच्चों के मनोरंजन के लिए खिलौने बनाए जाते थे। मिट्टी के बने असंख्य खिलौने खुदाइयों से मिले हैं। ये पशुपक्षियों की आकृतिवाले तथा कुछ मानव आकृतिवाले भी हैं। इनके अतिरिक्त मिट्टी की खिलौनानुमा गाड़ियाँ, गोलियाँ, सीटियाँ, झुनझुने इत्यादि भी मिले हैं। जिनसे पता चलता है कि बच्चों के मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता था।

→**अंत्येष्टि क्रिया:** सिंधु सभ्यता की निवासियों की शव विसर्जन प्रणाली पर भी उत्खननों से प्रकाश पड़ता है। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है, वे तीन प्रकार से मृतकों का संस्कार करते थे:-

(i) **पूर्ण समाधिकरण की प्रथा:-** इस प्रथा के अनुसार शव को जमीन में दफना दिया जाता था। साथ ही मृतकों के साथ उनके उपयोग की आवश्यक वस्तुएँ भी रख दी जाती थी।

(ii) **आंशिक समाधिकरण:-** इस विधि में शव को कुछ समय तक किसी खुले स्थान पर रख दिया जाता था। पशु-पक्षियों के खाने के पश्चात् बचा हुआ अवशेष दफना दिया जाता था।

(iii) **दाह-कर्म की प्रथा:-** इस व्यवस्था के अनुसार शव को अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता था।

अंत्येष्टि की तीनों प्रणालियाँ सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी, परंतु यह निश्चित कहना कठिन है कि किस वर्ग में किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी।

Scanned with CamScanner